

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0**समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत****प्रकरण कमांक 14/2016 एस.टी.(विशेष)****संस्थापित दिनांक 15-11-2016**मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।-----**अभियोजन****बनाम**जण्डेलसिंह पुत्र स्व. शंकरलाल खटीक, उम्र 42 वर्ष,
निवासी ग्राम भौनपुरा, थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.-----**अभियुक्त**शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह
गुर्जर।

अभियुक्त द्वारा श्री एम.एल. मुदगल अधिवक्ता।

//आ दे श//

//आज दिनांक 01-09-2017 को पारित//

नोट- प्रकरण में आरोपी पर अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने एवं उस पर लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में आरोप है, ऐसी स्थिति में आदेश में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोक्त्री "पी" लिखा जा रहा है।

01. प्रकरण में यह आदेश दं.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।

02. प्रकरण में आरोपी पर अवयस्क अभियोक्त्री 'पी' की लज्जा भंग करने एवं लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में आरोप है। इस संबंध में आरोपी पर भा.द.वि की धारा 354ख एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के अंतर्गत आरोप है।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.2016 को ग्राम भौनपुरा

निवासी फरियादिया पिकी शाम करीब चार बजे भौनपुरा स्थिति घर में अकेली खाट पर बैठी थी, उसी समय उसका चाचा जण्डेलसिंह आया और फरियादिया से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछने लगा तब फरियादिया ने बताया कि उसके पापा मुरैना गए हैं और माँ बाजार की फसल काटने खेत पर गई है। तत्पश्चात् आरोपी जण्डेल उसकी छाती पर हाथ फेरने लगा और छाती दवा दी तो फरियादिया ने कहा कि वह उक्त बात अपने मम्मी पापा को और चाची को बताएगी तब आरोपी ने उसे उसके भाई विकास की कसम दिलाई। फरियादिया के चिल्लाने पर उसका चचेरा भाई खिलौनिया आ गया जिसे देखकर आरोपी भाग गया। दिनांक 24.10.16 को उसके पिता के घर आने पर थाना रिपोर्ट की जिस पर से पुलिस थाना एण्डोरी में अप0क0 118/16 धारा 354 भा.द.वि एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने विवेचना अभियोक्त्री के धारा 164 दं.प्र.सं के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध कराए गए एवं अन्य साक्षीगण के धारा 161 दं.प्र.सं के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत होने से इस न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 354ख एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के आवश्यक तत्व पाते हुए आरोप पत्र विरचित किया गया। आरोपी ने अपराध किया जाना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा।

05. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री 'पी' अ0सा0 1, रामाबाई अ0सा0 2, भागीरथ खटीक अ0सा0 3, खिलौनियाँ अ0सा0 4, बाल्मीक चौबे अ0सा0 5 के कथन कराए गए हैं। अभियोजन की साक्ष्य उपरान्त अभियुक्त परीक्षण किया गया है, जिसमें अभियुक्त ने अपने को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. अभियोक्त्री "पी" अ0सा0 1 जिसके साथ कि घटना घटित होना अभियोजन कथानक अनुसार बताया गया है, का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह आरोपी को जानती है उसका चाचा है। साक्षिया ने बताया है कि घटना करीब 5-6 माह पहले शाम के चार बजे की है वह अपने घर में

कमरा साफ कर रही थी उसी समय उसके चाचा जण्डेल आए और उससे पापा के बारे में पूछने लगे तो फरियादिया ने बताया कि उसके पापा मुरैना गए हैं और मम्मी खेत पर गई हैं। साक्षिया का कहना है कि उसने जण्डेल से कहा था कि उसने उनका बबूल का पेड़ क्यों काटा है तो आरोपी उसे गाली देने लगा और वहाँ चला गया। शाम को जब फरियादिया की माँ घर पर आई तो उसने अपनी माँ को बताया कि चाचा गाली दे रहे थे। तत्पश्चात् उन्होंने पुलिस थाना एण्डोरी में रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र.पी. 1 है और पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षिया का कहना है कि पुलिस ने रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं सुनाई थी। अभियोक्त्री अ0सा0 1 के द्वारा आरोपी का घटना दिनांक को घर के अंदर आना तो स्वीकार किया है, किन्तु उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना अभियोक्त्री के साथ घटित करने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री को अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के आधार पर पक्षविरोधी घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उसके समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके पश्चात् भी अभियोक्त्री ने अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है।

07. अभियोजन साक्षी खिलौनिया अ0सा0 4 जिसे देखकर आरोपी घटनास्थल से भागना अभियोजन कथानक अनुसार बताया गया है के द्वारा अपने कथनों में अभियोजन कहानी का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है और उक्त साक्षी पक्षविरोधी रहा है।

08. अभियोजन साक्षी रामाबाई अ0सा0 2 एवं भागीरथ अ0सा0 3 जो कि अभियोक्त्री के माँ व पिता हैं और उक्त दोनों ही साक्षीगण घटना के अनुश्रित साक्षी हैं। उक्त दोनों साक्षियों ने अभियोक्त्री के बताए अनुसार आरोपी के घटना दिनांक को घर पर आने और उनके संबंध में अभियोक्त्री से पूछने तथा पेड़ काटने की बात लेकर गाली गलोज करने के संबंध में व थाना जाने एवं पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ करने के संबंध में बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन कथानक का समर्थन करने के कारण अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्नों के माध्यम से उनके समक्ष अभियोजन कथानक रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी उक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा अभियोजन कथानक का

लेशमात्र समर्थन नहीं किया है।

09. अभियोजन साक्षी बाल्मीक चौबे अ०सा० 5 जिनके द्वारा प्रकरण की प्रार्थमिकी दर्ज कर विवेचना की कार्यवाही की गई है का अपने कथनों में कहना रहा है कि दिनांक 24.10.16 को अभियोक्त्री 'पी' के द्वारा आरोपी के विरुद्ध उसके साथ अश्लील हरकत करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर से अप०क० 118/16 धारा 354 भा.द.वि एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम का प्र.पी. 1 का पंजीबद्ध किया था और उसी दिनांक को घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था और अभियोक्त्री के न्यायालय में धारा 164 जा०फौ० के अंतर्गत कथन लेखबद्ध कराए गए एवं प्रकरण से संबंधित साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने संबंधी कथन किए हैं, किन्तु वर्तमान प्रकरण की फरियादिया सहित अन्य साक्षीगण के द्वारा विवेचनाधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है।

10. प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य में इस आशय की साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री "पी" की लज्जा शीलता भंग कर उस पर लैंगिक हमला कारित किया गया हो।

11. अतः प्रकरण की इस स्टेज पर यह निष्कर्ष निकाले जाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने आरोपित अपराध कारित किया।

12. परिणामतः आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य न होने के आधार पर आरोपी जण्डेलसिंह को दं.प्र.सं संहिता की धारा 232 के अंतर्गत धारा भा.द.वि की धारा 354ख एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. आरोपी का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

14. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।

15. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)